भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 673

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद

673. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों के लिए "एक ज़िला एक उत्पाद" (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत चयनित उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की शुरुआत में अब तक उक्त उत्पादों में जुड़े लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण तथा विपणन समर्थन का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लोक सभा क्षेत्र में ओडीओपी के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों स्थापित की गई हैं और यदि हाँ, तो अब तक स्थापित इकाइयों की संख्या, जीआई टैग, ई-कॉमर्स अथवा निर्यात से जुड़े उत्पादों की संख्या तथा उनसे सृजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) टोंक एवं सवाई माधोपुर के हथकरघा, पत्थर शिल्प, कढ़ाई तथा कृषि-आधारित उत्पादों को अपेक्षित बाज़ार एवं उचित मूल्य न मिल पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त उत्पादों को क्लस्टरों, निर्यात संवर्धन तथा विशेष पैकेजों से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा बिना किसी वित्तीय घटक के चलाई जा रही एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन करना, उसे ब्रांड बनाना और उसे बढ़ावा देना है। राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से ओडीओपी पहल के तहत चयनित उत्पाद क्रमशः "स्लेट स्टोन उत्पाद (टाइल्स)" और "संगमरमर उत्पाद" हैं।

राजस्थान के चिह्नित उत्पादों सहित ओडीओपी उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहलें; गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) - ओडीओपी बाजार के लिए ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारत के सर्वश्रेष्ठ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित और स्टॉक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों से संपर्क, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। इसके अलावा, इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जी-20 बैठकों के दौरान उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए विभिन्न ओडीओपी उत्पादों का उपयोग किया गया।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने दिसंबर, 2024 में एक समर्पित एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति की घोषणा की है, जो 31 मार्च 2029 तक लागू है। यह नीति नए ओडीओपी उद्यमों के निर्माण के लिए मार्जिन राशि सहायता को प्रोत्साहन प्रदान करती है; प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर अपनाने के लिए स्कीम; विपणन सहायता; ई-कॉमर्स संवर्धन; और गुणवत्ता प्रमाणन और मानकों के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अलावा, ओडीओपी को "पंच गौरव" (पांच गौरव तत्वों) में से एक के रूप में भी चिह्नित किया गया है, जो प्रत्येक जिले में प्रमुख फोकस क्षेत्र है। राजस्थान सरकार द्वारा ओडीओपी उद्यमों को एक विशिष्ट ओडीओपी आईडी प्रदान करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जो राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के उक्त उत्पादों से जुड़े राजस्थान सरकार द्वारा लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

उत्पादों और क्लस्टरों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने, निर्यात संवर्धन बढ़ाने तथा विशेष पैकेजों के माध्यम से लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति, 2024 और राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, 2024 तैयार की है।

अनुबंध-I

दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 673 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

टोंक जिला	सवाई माधोपुर
- राजस्थान ओडीओपी नीति, 2024 के अंतर्गत मार्जिन राशि सहायता स्कीम के तहत 3 ओडीओपी इकाइयों को 33,30,000/- रुपए की राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। - राजस्थान ओडीओपी नीति के तहत वेबसाइट विकास सहायता स्कीम के तहत 3 ओडीओपी इकाइयों को लाभान्वित किया गया है। - एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 80 उद्यमियों ने सहभागिता की।	- ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) नीति के तहत दिनांक 26.05.2025 को जिला-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 105 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। - 8 जनवरी, 2026 से 12 जनवरी, 2026 तक एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 15 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।
